मा0 एन0जी0टी0 के आदेश

संख्या–2424 / 86–2017–145(सामान्य) / 2017टीसी–1

प्रेषक,

आत्मा राम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग   लखनऊ दिनांकः 28 सितम्बर, 2017

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या–557 / 2017 अंजनी कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के जनपद–झांसी, उन्नाव, जालौन, हमीरपुर, सोनभद्र, फतेहपुर, कानपुर देहात एवं गोण्डा में शासनादेश संख्या–1875 / 86–2017–57(सामान्य) / 2017टीसी–1, दिनांक 14.08.2017 के क्रम में बालू, मौरम के रिक्त खनन क्षेत्रों की ई–टेण्डर सह ई–नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–557 / 2017 अंजनी कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2017 का प्रभावी अंश निम्नवत् है :–

"Until further order the notic inviting E-Tender as detailed in prayer 2 to 9 is stayed. we reserve the liberty of the State to seek modification of the interim order. "

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में उक्त 08 जनपदों में ई–टेण्डर सह ई–नीलामी की प्रक्रिया अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है। इन जनपदों के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण के आदेश के क्रम में ई–टेण्डर सह ई–नीलामी हेतु 07 दिन की अल्पकालीन अवधि की नोटिस देते हुए पुनः उक्त प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु पृथक से आदेश निर्गत किए जायेंगे।

भवदीय,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

संख्याः / 86–2017, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी,झांसी / उन्नाव / जालौन / हमीरपुर / सोनभद्र / फतेहपुर / कानपुर देहात एवं गोण्डा।
2. प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी / खान अधिकारी / खान निरीक्षक जनपद–झांसी / उन्नाव / जालौन / हमीरपुर / सोनभद्र / फतेहपुर / कानपुर देहात एवं गोण्डा।
3. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0लि0, द्वितीय तल, सेन्टर कोर्ट बिल्डिंग 3 / सी, 5पार्क रोड, अपोजिट सिविल हॉस्पिटल, हजरतगंज, पिन0–226001 लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव